उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–493 / XX–4 / 2020–1(35) / 2020
देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2020

कार्यालय आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका (कि0) संख्या–13 / 2020 रोशन नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–07–2020 के कम में सिद्धदोष बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन (पैरोल) के प्रकरणों का निस्तारण ऑन लाईन व्यवस्था के तहत किया जाना प्रस्तावित है। अस्तु, इस सम्बन्ध में ICJS (Inter Operable Criminal Justice System) के अधीन ई–प्रिजन योजना में पैरोल सम्बन्धी प्रकरणों को ऑन लाईन व्यवस्था में निस्तारण सम्मिलित किये जाने की कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. अपर पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. अपर सचिव, न्याय / अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन
3. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के सक्षम प्रतिनिधि

2– उक्त समिति द्वारा पैरोल आवेदन पत्रों को निस्तारण किये जाने की व्यवस्था को उपरोक्तानुसार ऑन लाईन किये जाने की कार्ययोजना तैयार कर 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या–493 / XX–4 / 2020–1(35) / 2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अपर सचिव, न्याय / अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), उत्तराखण्ड।
5– निजी सचिव, सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव